मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 4 जुलाई 2025

एमसीआईआर

I. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025

रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025 जारी किए, ताकि विनियमित संस्थाओं (आरई) में पूर्व-भुगतान प्रभार लगाने में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इन निदेशों का उद्देश्य असंगत पद्धतियों और ऋण करारों में प्रतिबंधात्मक धाराओं से उत्पन्न ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना है, जो विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रभावित करती हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी, ये निदेश आरई को गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) को प्रदान किए गए अस्थायी दर के ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार लगाने से रोकते हैं, जो कि आरई की श्रेणी और स्वीकृत ऋण राशि के आधार पर विशिष्ट शर्तों के अधीन हैं। ये निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों को छोड़कर), सहकारी बैंकों, एनबीएफ़सी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू हैं।

निदेशों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि पूर्व-भुगतान प्रभार संबंधी शर्तों को स्पष्ट रूप से स्वीकृति पत्र, ऋण करार और, जहाँ लागू हो, मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में प्रकट किया जाना चाहिए। जिन प्रभारों को पहले प्रकट नहीं किया गया है, उन्हें बाद में नहीं लगाया जा सकता और पूर्व-भुगतान के समय कोई पूर्वव्यापी शुल्क या पहले माफ किए गए प्रभार नहीं लगाए जा सकते। इसके अतिरिक्त, यदि उधारकर्ता नकद ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा का नवीनीकरण नहीं कराने का विकल्प चुनते हैं और आरई को पहले से सूचित करते हैं, तो उनसे पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं लिया जाएगा। ये निदेश आरबीआई के निर्दिष्ट परिपत्रों और मास्टर निदेशों में दिए गए पूर्व निर्देशों को अधिक्रमित करता है, जो प्रभावी तिथि से निरस्त माने जाते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बेसल III पूंजीगत विनियमन – बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) – केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड

रिज़र्व बैंक ने 10 जुलाई 2025 को बैंकों को 1 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजीगत विनियमन के पैराग्राफ 6 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) से उत्पन्न होने वाले अनिवासी कॉर्पोरेट्स पर अपने दावों के जोखिम-भार के लिए फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के अलावा मेसर्स केयरएज ग्लोबल आईएफ़एससी लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति दी। मेसर्स केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड द्वारा दी गई रेटिंग के लिए रेटिंग-जोखिम भार मानचित्रण निम्नानुसार होगा:

रेटिंग श्रेणी	एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी और निम्न
जोखिम भार (%)	20	30	50	100	150

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक के बदले उधार- कृषि और एमएसएमई ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण और चांदी को स्वैच्छिक रूप से गिरवी रखना

रिज़र्व बैंक ने 11 जुलाई 2025 को स्पष्ट किया कि बैंकों द्वारा कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं को स्वैच्छिक रूप से स्वर्ण और चांदी गिरवी रखकर निर्धारित संपार्श्विक -मुक्त सीमा तक स्वीकृत ऋण को, संपार्श्विक- मुक्त ऋणों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जैसा कि एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने पर 6 दिसंबर 2024 के परिपत्र और 24 जुलाई 2017 के मास्टर निदेश (11 जून 2024 तक अद्यतन) में उल्लिखित है और 6 जून 2025 को जारी स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक पर उधार देने संबंधी निदेश, 2025 के अनुसार है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण (निदेश), 2025 का मसौदा मास्टर निदेश जारी किया

रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2025 को 'डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर मसौदा मास्टर निदेश जारी किया। मसौदा निदेशों पर जनता/हितधारकों से 11 अगस्त 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-2
II. वित्तीय बाजार	2
III. विदेशी मुद्रा	2
IV. मुद्रा जारीकर्ता	2
V. पर्यवेक्षण	3
VI. सर्वेक्षण	3
VII. सरकार के लिए ऋण प्रबंधक	4
VIII. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

एमसीआईआर के इस संस्करण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों को शामिल किया गया है। मुख्य बातों में आरबीआई (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025 जारी करना शामिल है, जिसका उद्देश्य कतिपय अस्थायी दर वाले ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभारों पर प्रतिबंध लगाकर उधारकर्ताओं के अधिकारों को बढ़ाना है। कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले स्वर्ण- और चाँदी -आधारित ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए गए। इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 के लिए एफआई-सूचकांक ने वित्तीय समावेशन में निरंतर प्रगति को दर्शाया है।

एमसीआईआर के इस संस्करण में मौद्रिक, ऋण और वित्तीय स्थितियों के नवीनतम रुझानों के साथ-साथ इन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया

केंद्र सरकार ने सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में श्री अजय सेठ के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किया है। सुश्री अनुराधा ठाकुर का नामांकन 24 जुलाई 2025 से और अगले आदेश तक प्रभावी है।

आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए व्यवसाय प्राधिकरण (निदेश), 2025 का मसौदा मास्टर निदेश जारी किया

रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2025 को सहकारी बैंकों के लिए व्यवसाय प्राधिकरण पर मसौदा मास्टर निदेश जारी किया। मसौदा निदेशों पर जनता/हितधारकों से 25 अगस्त 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2025 के आदेश के अंतर्गत कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार का लाइसेंस 23 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक में अपर्याप्त पूंजी, खराब अनुपालन और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने या जमा राशि को पूरी तरह से चुकाने में असमर्थता थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई

सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उन्हें दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को वापस कर दिया है। अतः आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनका सीओआर रद्द कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2025 को अपीलीय प्राधिकरण/न्यायालय के आदेश के बाद, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) जुपिटर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीओआर संख्या: एन-14.03654) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) बहाल किया। एनबीएफसी, जिसका मुख्यालय एस.सी.ओ. संख्या 20, जिला वाणिज्यिक केंद्र, सेक्टर-56, गुड़गांव, हरियाणा में है, को आरबीआई अधिनियम, 1934 और रिपोर्टिंग दायित्वों सहित सभी लागू दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नागरिक चार्टर की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2025 को एक संशोधित नागरिक चार्टर लागू किया, जिसमें विनियमित संस्थाओं और नागरिकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं को समेकित किया गया, तथा पहले के 133 विनियामक अनुमोदनों और 58 नागरिक चार्टर सेवाओं को सम्मिलित करके कुल सेवाओं को बढ़ाकर 204 कर दिया गया। एक व्यापक समीक्षा के अंतर्गत, दक्षता बढ़ाने के लिए 11 सेवाओं की समय-सीमा कम कर दी गई है। अब आवेदन और अनुरोध प्रवाह (180 सेवाएँ), ओवर-द-काउंटर/ऑफ़लाइन फ़ॉर्म (14 सेवाएँ) और लेखा परीक्षा आवंटन प्रणाली और ई-कुबेर (10 सेवाएँ) जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किए जा सकते हैं। यह संशोधन कार्यप्रवाह और सेवा इंटरफेस को डिजिटल बनाने के निरंतर प्रयासों के साथ, पहुँच, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उपयोगकर्ता मैनुअल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और वीडियो ट्यूटोरियल प्रवाह में https://pravaah.rbi.org.in. पर उपलब्ध हैं।

II. वित्तीय बाजार

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का नवीकरण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया

रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2025 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का नवीकरण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया। मसौदा निदेशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 1 अगस्त 2025 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में लदान बिलों को बंद करने संबंधी निदेश – प्रतिक्रिया के लिए मसौदा

सीमा शुल्क (आईसीईगेट के माध्यम से), ईसीसीएस और जनवरी 2025 से डाक निर्यात से एकीकृत निर्यात डेटा की बढ़ती मात्रा को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 11 जुलाई 2025 को मसौदा निदेश जारी किए, जिनका उद्देश्य, विशेष रूप से छोटे मूल्य के निर्यात लेनदेनों के लिए, निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में मिलान प्रक्रिया को सरल बनाना है। निर्यात प्राप्तियों की निगरानी के लिए 2014 में शुरू की गई ईडीपीएमएस, अब प्राप्त भुगतानों के विरुद्ध प्रत्येक लदान बिल का मिलान करती है। मसौदा निदेशों पर टिप्पणियां, आरबीआई वेबसाइट पर 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या विषय पंक्ति "ईडीपीएमएस में लदान बिलों को बंद करने पर मसौदा निदेशों पर प्रतिक्रिया" के साथ। 31 जुलाई 2025 तक ईमेल की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। आँकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹6017 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 में से 98.31 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ गए हैं। ₹2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

मार्च 2025 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2025 को मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) जारी किया, जो मार्च 2024 के 64.2 की तुलना में 67.0 रहा, जो सभी उप-सूचकांकों अर्थात पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता में समग्र सुधार दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 में संवृद्धि, मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयामों में वृद्धि से प्रेरित थी, जो गहन वित्तीय समावेशन और निरंतर वित्तीय साक्षरता पहलों के प्रभाव को दर्शाता है।

V. पर्यवेक्षण

मौद्रिक दंड

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं पर जुलाई 2025 माह के दौरान मौद्रिक दंड (₹1 लाख से अधिक) लगाया।

संस्था का नाम	राशि
श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात	₹4.00 लाख
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दुर्ग , छत्तीसगढ़	₹1.00 लाख
सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	₹15.00 लाख
डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र	₹1.50 लाख
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड	₹2.70 लाख
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	₹4.88 लाख
ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र	₹2.10 लाख
सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिम्मतनगर , जिला साबरकांठा , गुजरात	₹3.00 लाख
दि मांडवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मांडवी, जिला सूरत, गुजरात	₹2.00 लाख
दि गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक	₹1.00 लाख
मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र	₹6.00 लाख
दि शहादा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शहादा, महाराष्ट्र	₹2.00 लाख
दि बटलागुंडु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु	₹1.00 लाख
स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश)	₹2.50 लाख

VI. सर्वेक्षण

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सर्वेक्षण (आईटीबीएस): 2024-25

रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2025 को बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर अपने सर्वेक्षण का 2024-25 दौर शुरू किया। वर्ष 2006-07 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह सर्वेक्षण, विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं/सहायक कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो ग्राहकों से लिए जाने वाले स्पष्ट/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन पर आधारित होती है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

त्रैमासिक क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण: अप्रैल - जून 2025 (70वाँ दौर)

रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2025 को अपने क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 70वाँ दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण अप्रैल-जून 2025 (2025-26 की पहली तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है।

रिज़र्व बैंक, विनिर्माण क्षेत्र की क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण(ओबीआईसीयूएस) वर्ष 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करा रहा है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की जाने वाली जानकारी में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए क्रयादेश, तिमाही की शुरुआत में क्रयादेश का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित क्रयादेश, तिमाही के अंत में तैयार स्टॉक, प्रक्रियाधीन और कच्चा माल के स्टॉक के बीच ब्रेक-अप के साथ कुल स्टॉक, लक्षित समूह की स्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के लिहाज से मद-वार उत्पादन तथा तिमाही के दौरान उत्पादन / स्थापित क्षमता में बदलाव के कारणों पर मात्रात्मक आंकड़े शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) का 46वां दौर: 2025-26 की दूसरी तिमाही

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2025 को जुलाई-सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 46वें दौर की शुरुआत की है। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाएं और आधारभूत संरचना क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए उनकी प्रत्याशा का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित परिदृश्य को भी शामिल किया गया है।

त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) का 111वां दौर - 2025-26 की दूसरी तिमाही

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2025 को जुलाई-सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 111वें दौर की शुरुआत की। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित परिदृश्य को भी शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

मार्च 2025 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2025 को मार्च 2025 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) जारी किया, जो सितंबर 2024 के 465.33 से बढ़कर 493.22 हो गया। यह वृद्धि प्रमुख मापदंडों, विशेष रूप से भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक और भुगतान निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है, जो देश भर में डिजिटल भुगतान अपनाने के निरंतर विस्तार और गहनता का संकेत है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सरकार के लिए ऋण प्रबंधक

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020

रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2025 को घोषणा की कि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) [एफ़आरएसबी 2020 (टी)] पर ब्याज दर 8.05% पर अपरिवर्तित रहेगी। भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.सं.4(10)-बी(डब्ल्यू&एम)/2020 के पैरा 13(ii) के अनुसार, इन बॉण्ड पर कूपन दर अर्ध-वार्षिक रूप से निर्धारित की जाती है और इसे (+) 35 आधार अंकों के स्प्रेड के साथ प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से जोड़ा जाता है। तदनुसार, एनएससी दर 7.70% के साथ, इस अवधि के लिए लागू दर 8.05% है, जो 1 जनवरी 2026 को देय होगी।

VIII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

चार आलेख इस प्रकार हैं:

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति: जून और जुलाई में अब तक वैश्विक समष्टि आर्थिक परिवेश अस्थिर बना हुआ है। जून के पहले पखवाड़े में, ईरान और इज़राइल के बीच भू-राजनीतिक तनाव में तेज़ी से वृद्धि की चिंताओं के कारण बाज़ार में अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, 23 जून को युद्धविराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाज़ारों में सामान्य स्थिति बहाल हो गई। कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में प्रगति ने समग्र आशावाद को और बल दिया। तथापि, जुलाई की शुरुआत तक, अमेरिका की राजकोषीय स्थिति, टैरिफ नीति की अनिश्चितताओं और संवृद्धि एवं मुद्रास्फीति पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताओं ने उभरते आर्थिक संभावना पर दबाव डाला। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भारत में तेल की कीमत और मुद्रास्फीति के संबंध का पुनरावलोकन: तेल की कीमत और मुद्रास्फीति का संबंध आधी सदी से भी ज़्यादा समय से अर्थशास्त्रियों और केंद्रीय बैंकरों के लिए एक चिंताजनक मुद्दा रहा है। 1970 के दशक में तेल की कीमतों में आए दोहरे आघातों के बाद से, अर्थशास्त्री समग्र आर्थिक गतिविधियों पर तेल की कीमतों में आए आघातों के प्रभाव को रेखांकित करने का प्रयास करते रहे हैं। यह तेल आयातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल अक्सर आर्थिक संवृद्धि में मंदी तथा व्यापार और चालू खाता शेष में गिरावट से जुड़ा रहा है। आमतौर पर, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव अत्यधिक विकृतकारी हो सकता है क्योंकि प्रतिकूल आघात (तेल की ऊँची कीमतें) मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को अस्थिर कर सकते हैं। अतः, मौद्रिक प्राधिकरण – विशेषकर मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (आईटी) अर्थव्यवस्थाओं में – तेल की कीमतों में आ रही गतिशीलता पर पैनी नज़र रखते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. एक दिवसीय संपार्श्विक रहित मुद्रा बाज़ार मात्रा के निर्धारक - एक अनुभवजन्य मूल्यांकन: भारतीय मुद्रा बाज़ार को अल्पकालिक अरक्षित ऋण (मांग), संपार्श्विक ऋण और उधार (पुनर्खरीद करार सहित), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और खजाना बिल (टी-बिल) में विभाजित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. भारत में परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएँ: उभरती प्रवृत्तियाँ, निर्धारक और मौद्रिक नीति का प्रभाव: मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ आर्थिक व्यवहार और समष्टि आर्थिक परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ये उपभोग, बचत और निवेश से संबंधित व्यक्तिगत निर्णयों को आकार देती हैं, जिसका सीधा प्रभाव समग्र माँग पर पड़ता है। व्यवसाय इन प्रत्याशाओं का उपयोग, कीमतें निर्धारित करने और वेतन पर मोलभाव करने के लिए करते हैं। इसलिए, केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (आईटी) ढाँचे में, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं के प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

चार भाषण हैं: I. नेट जीरो प्राप्त करने के लिए धारणीय और हरित अवसंरचना वित्तपोषण को उत्प्रेरित करना - श्री एम राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 03 जुलाई 2025 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, आरबीआई, पुणे में हरित अवसंरचना वित्त पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण;

II. ऋण अंतर को समाप्त करना: भारत की ऋण रिपोर्टिंग अवसंरचना का विकास - श्री एम राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का 1 जुलाई 2025 को मुंबई में ट्रांसयूनियन सिबिल क्रेडिट सम्मेलन में मुख्य भाषण;

III. एक बैंकर की यात्रा के कुछ अंश - श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर द्वारा 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम), पुणे में समापन भाषण; और

IV. एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ आगे बढ़ना: एक आघात-सह शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी अभिशासन - श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुक्रवार, 11 जुलाई 2025 को सीएबी, पुणे में आयोजित शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए संगोष्ठी में समापन भाषण। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

जुलाई 2025 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विषय
1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जुलाई 2025
2	जून 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
3	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जून 2025
4	दिनांक 11 जुलाई 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
5	वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
6	जून 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।